



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277290
CG-DL-E-19102026-277290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5480]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2026/आश्विन 27, 1948

No. 5480]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2026/ASVINA 27, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5697(अ).— केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, खान मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय यथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई : कर्नाटक एवं गोवा, बंगलुरु

[फा. सं. ई-16013/1/2022-हिंदी]

फरीदा एम. नाईक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5697(E).— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following office of Geological Survey of India, an attached office of the Ministry of Mines more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:

Geological Survey of India, State Unit : Karnataka & Goa, Bengluru

[F. No. E-16013/1/2022-Hindi]

FARIDA M. NAIK, Jt. Secy.